

सिविल सेवा के लिये बुनियादी मूल्य

सत्यनिष्ठा (Integrity)

- सत्यनिष्ठा के लिये अंग्रेजी में 'इंटिग्रिटी' (Integrity) शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ 'किसी चीज के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति' से है। सत्यनिष्ठा व्यक्ति को कर्मोपदेश हर स्थिति में उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करना सिखाती है।
- ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन नैतिक सिद्धांतों के प्रति आचरण करने की बात कही गई है, वे सिद्धांत वस्तुनिष्ठ आधार पर नैतिक होने चाहिये। यदि किसी नैतिक सिद्धांत से विचलन हो तो उस विचलन को न्याय संगत ठहराने का पर्याप्त आधार होना आवश्यक है।
- **सत्यनिष्ठा के प्रकार**
- **बौद्धिक सत्यनिष्ठा (Intellectual Integrity):** इसके अंतर्गत हमें अपने लिये अलग और दूसरों के लिये अलगमानदंड नहीं रखने

चाहिये, न ही अपने अंतर्विरोधों को जानबूझकर अनदेखा करना चाहिये। हमें अपना मूल्यांकन उन्हीं आधारों पर और उतनी ही कठोरता से करना चाहिये जिन पर हम किसी और का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिये, यदि किसी व्यक्ति के पीठ पीछे कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में गलत बोलता है तो उसे भी उस व्यक्ति पर नाराज नहीं होना चाहिये जो उसके बारे में पीठ पीछे गलत बोलता है।

○ **व्यावसायिक सत्यनिष्ठा (Professional Integrity):** व्यावसायिक सत्यनिष्ठा में उन नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है जो उस व्यवसाय की आचार संहिता में शामिल हैं, जैसे- वकील द्वारा अपने मुक्किल की सहायता करना नैतिक है, किंतु दूसरे पक्ष को धन देकर अपने पक्ष में करने का प्रयास करना अनैतिक।

वस्तुनिष्ठता (Objectivity):

- वस्तुनिष्ठता शब्द का प्रयोग दर्शन, विधि तथा नीतिशास्त्र जैसे विषयों में विशिष्ट अर्थों में होता। इसका सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति को कोई निर्णय करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिये जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हैं, जैसे- उसकी विचारधारा, कल्पनाएँ, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, मान्यताएँ इत्यादि। यदि वह इन सभी आधारों से मुक्त होकर निर्णय के मूल में केवल उन

आधारों को रखेगा जो तथ्यात्मक एवं तार्किक हैं और जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति मानने को बाध्य है तो उसका निर्णय वस्तुनिष्ठ होगा।

- दर्शन की भाषा में कहें तो वहीं नैतिक कथन वस्तुनिष्ठ कहलाएगा जिसकी सत्यता की स्थितियाँ किसी भी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क से स्वतंत्र है।

सेवा भावना (Spirit of Service):

- सेवा भावना वह मनःस्थिति है जिसमें कार्य किसी लाभ या स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता बल्कि इस भावना के साथ किया जाता है कि यह करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। लोक सेवा में इसका अर्थ यह है कि वेतन और सुविधाओं पर विशेष ध्यान न देते हुए इस भाव से काम करना कि मैं अपनी शक्तियों का अधि

कतम उपयोग सामाजिक कल्याण को साधने में कैसे कर सकता हूँ?

सेवा भावना के विशेष लक्षण हैं-

- कार्य में ही आनंद मिलना।
- मन में यह भावना बनाए रखना कि मैं जो कुछ भी हूँ समाज के कारण हूँ। इसलिये समाज के प्रति कार्य करना प्रामाणिक जीवन जीने की शर्त है।

राजनीतिक निष्पक्षता (Non-Partisanship):

- इसका सरल अर्थ है- किसी दल विशेष से जुड़ाव न होना। संकीर्ण रूप में इसका अर्थ किसी दल विशेष की सदस्यता न लेना है। व्यापक रूप में इसमें यह भी शामिल है कि लोक सेवक किसी दल विशेष के प्रति निष्ठा जैसा भाव भी न रखते हों और वे सभी दलों के प्रति तटस्थ होकर राजकीय नीतियों को लागू करने के प्रयास करें।
- नौकरशाही के लिये राजनीतिक निष्पक्षता के मूल्य का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। जहाँ दो राजनीतिक पार्टियाँ बारी-बारी से सत्ता में आती थीं। अतः एक ऐसी नौकरशाही की जरूरत थी जो दोनों के साथ काम कर सके। मैक्स वेबर ने भी इस समय तटस्थ

नौकरशाही की अवधारणा दी। परंतु विशेषीकरण बढ़ने के बाद पूर्ण राजनीतिक निष्पक्षता संभव नहीं रह गई है। इसलिये कर्मचारियों को दो वर्गों में बाँटा गया, पहला- औद्योगिक श्रमिक- इन पर कोई राजनीतिक प्रतिबंध नहीं है, दूसरा- गैर औद्योगिक श्रमिक- इन्हें तीन वर्गों में बाँटा गया, उच्च स्तर के कर्मचारियों द्वारा पूर्ण राजनीतिक निष्पक्षता का पालन करना, मध्यम स्तर के कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में भाग तो ले सकते हैं पर चुनाव नहीं लड़ सकते, निम्न स्तर के गैर-औद्योगिक श्रमिकों को पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

संवेदना (Compassion):

- संवेदना वह भावना है जो कमजोर वर्ग या व्यक्तियों की स्थितियों को समझने तथा उनके प्रति समानुभूति चिंता रखने से उत्पन्न होती है। यह भावना पीड़ित को कष्ट मुक्त कराने में सहायता करती है। एक लोक सेवक के भीतर संवेदना, परोपकार और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की

भावना का विकास करती है। कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना इसलिये जरूरी है क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया में इतने पिछड़ चुके हैं कि उन्हें मुख्यधारा में साधारण उपायों से लाना मुश्किल हो चुका है। अगर लोक सेवक में संवेदना होगी तो वह इनकी दशा सुधारने के लिये भीतर से प्रतिबद्ध होगा।

सहिष्णुता (Tolerance)

- सहिष्णुता अर्थात् सहन करना। जब व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की आदतों, विचारों, धर्म, राष्ट्रीयता आदि से भिन्नता या विरोध रखता है तो सहिष्णुता एक वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण मनोवृत्ति बनाए रखने के साथ ही किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। अशोक व अकबर जैसे शासक अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही महानता की कोटी में शामिल हो सके। लेकिन वर्तमान में सहिष्णुता केवल धर्म के प्रति ही नहीं बल्कि जातियों,

वंचितों, पीड़ितों शरणार्थियों, किन्नरों, समलैंगिकों व विदेशियों के प्रति भी आवश्यक है।

सहिष्णुता के लाभ

- निंदा सुनने की शक्ति समाज और राजनीति दोनों को लोकतांत्रिक बनाए रखती है।
- भूमंडलीकरण के दौर में जब सामाजिक विविधता में वृद्धि हो रही है, ऐसे में वैश्विक शांति स्थापित करने के लिये सहिष्णुता आवश्यक है।

निष्पक्षता (Impartiality):

- निष्पक्षता में निर्णयकर्ता को कोई भी निर्णय किसी पूर्वाग्रह या किसी पक्ष का समर्थन करके नहीं करना चाहिये क्योंकि निष्पक्षता न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है। हाँ, कभी-कभी सामाजिक हित में थोड़ा बहुत पक्षपात वांछनीय हो सकता है। किंतु यह किसी व्यक्ति विशेष के हित में न होकर समाज के हित में होना चाहिये। यह भी जरूरी है कि ऐसा करने पर जिस व्यक्ति विशेष का नुकसान हो रहा हो उसके सामने सामाजिक हित की मात्रा अत्यधिक हो। जैसे- आरक्षण का मूल आधार यही है।

समानुभूति (Empathy):

- समानुभूति की निश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग-अलग स्तर पर परिभाषित किया है। इसकी एक सामान्य परिभाषा यह हो सकती है- किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या किसी काल्पनिक चरित्र की मनः स्थितियों को सटीक रूप में समझने की क्षमता समानुभूति कहलाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक

मानते हैं कि समानुभूति सिर्फ दूसरों की मनः स्थितियों को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हीं भावनाओं को उस स्तर पर महसूस करने का नाम जिस स्तर पर उन भावनाओं को मूल शक्ति ने अनुभव किया था। इसका चरम रूप वहाँ दिखता है, जहाँ व्यक्ति की चेतना में 'स्व' तथा 'पर' का अंतर मिटने लगता है।

प्रतिबद्धता (Commitment):

- प्रतिबद्धता व्यक्ति का एक आंतरिक गुण है। व्यक्ति मूल्यों या विचारधारा से किसी के भी प्रति प्रतिबद्ध हो सकता है। 1968 में इंदिरा गांधी ने जब प्रतिबद्ध नौकरशाही की मांग की थी तो यह प्रश्न उठा खड़ा हुआ था कि क्या नौकरशाही को प्रतिबद्ध होना चाहिये? यदि होना चाहिये तो किसके प्रति? दरअसल, एक

सिविल सेवक को-
○ सवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मूल रूप से संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिये।
○ वंचित समूहों को मुख्यधारा में लाने के लिये सामाजिक न्याय व कल्याणकारी उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिये।

जनसेवा के प्रति समर्पण (Dedication to Public Service):

- ब्रिटिश साम्राज्य ने जिस सिविल सेवा का गठन किया था वह अभिजात तथा रूढ़ि थी और ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा रखती थी। भारत के कल्याणकारी राज्य बनने बाद से सिविल सेवकों से यह अपेक्षा थी कि वे राष्ट्रीय विकास तथा जन कल्याण में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
- समर्पण का अर्थ है किसी व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की ऊँची मनःस्थिति। यह मनःस्थिति उद्देश्य के प्रति तीव्र भावनाएँ पैदा करती है जो व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं।

समर्पण भाव (Dedication):

- समर्पण का अर्थ है, किसी व्यक्ति या सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की ऊँची मनःस्थिति। यदि किसी सिविल सेवक में लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना है तो वह-
○ कार्य के घंटों की बजाय जरूरत के अनुरूप उत्साहपूर्वक कार्य करेगा।
- वंचित वर्गों की सहायता में गहरा संतोष व्यक्त करेगा।
- अपने अधिकारों का प्रयोग ऐसे करेगा जिससे संसाधनों का अधिकतम व्यय उन्हीं वर्गों पर हो, जिन्हें उनकी अत्यधिक आवश्यकता है।

दृष्टि
The Vision